

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर
टेलीफैक्स 0141-2222403 ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com
क्रमांक: भूमि/एफ.7(ड)()डीएलबी/2025/5493 जयपुर, दिनांक : 05/08/2025
स्पष्टीकरण आदेश

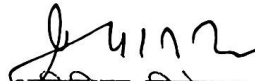
नगरीय विकास एवम् स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जारी आदेश क्रमांक प. 17(1)नवि/प्र.श.अभि./2024 पार्ट दिनांक 12.07.2024 में सभी लम्बित प्रकरणों का परीक्षण उपरोक्तानुसार किया जाकर निस्तारण दिनांक 10.08.2024 तक किया जाना सुनिश्चित किये जाने के आदेश दिये गये हैं। जिसके क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय निकायों में लम्बित प्रकरणों में यदि दिनांक 31.03.2024 तक अभियान अवधि के दौरान दी गई छूटों के अनुसार समस्त राशि संबंधित निकाय में जमा की जा चुकी है तो आदेश दिनांक 12.07.2024 के बिन्दु 1 के अनुसार एवम् राशि जमा नहीं हुई है तो वर्तमान में प्रभावी दरों व नियमों के अनुसार परीक्षण कर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण दिनांक 10.08.2024 के पश्चात् भी किया जा सकता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: भूमि/एफ.7(ड)()डीएलबी/2025/5494-6133 जयपुर, दिनांक : 05/08/2025
प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. वरिष्ठ सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिकाएँ, समस्त राज0।
8. आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिकाएँ, समस्त राज0।
9. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय निकाय विभाग, समस्त राज0।
10. प्रोग्रामर आई.टी. सेल निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक